फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	**बनाम**	**अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट**
श्री कान्तिलाल उपाध्याय निवासी ब्रह्मपुरी मौहल्ला सांतपुर तहसील आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू

किस्म मुकदमा– **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 30 वर्ष 2026

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
24.02.2026	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा अमरधारा/रिसोर्ट वासडा आबूरोड हाईवे के पास प्रशासनिक निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त रिसोर्ट को जारी प्रशासनिक निर्माण स्वीकृति/पारित नक्शा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा अपीलांट की शिकायत पर आबकारी बागरी मौहल्ले से सांतपुर जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा संख्या 160 में से अवैध अतिक्रमण हटाकर जो मौका फर्द बनाई गई है, उस मौका फर्द रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जनवरी 2025 से आज तक अवैध निर्माण बाबत जिन व्यक्तियों/संस्था को नोटिस जारी किए गए उन समस्त नोटिसों की प्रमाणित प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/– जमा करा दिए है। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को एक प्रार्थना पत्र दिनांक 21.12.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा अमरधारा/ रिसोर्ट वासडा आबूरोड हाईवे के पास प्रशासनिक निर्माण की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त रिसोर्ट को जारी प्रशासनिक निर्माण स्वीकृति/पारित नक्शा की सम्पूर्ण पत्रावली की प्रमाणित प्रति एवं रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा अपीलांट की शिकायत पर आबकारी बागरी मौहल्ले से सांतपुर जाने वाले रास्ते की भूमि खसरा संख्या 160 में से अवैध अतिक्रमण हटाकर जो मौका फर्द बनाई गई है, उस मौका फर्द रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति तथा रेस्पोडेन्ट कार्यालय द्वारा जनवरी 2025 से आज तक अवैध निर्माण बाबत जिन व्यक्तियों/संस्था को नोटिस जारी किए गए उन समस्त नोटिसों की प्रमाणित प्रति व उस पर की गई कार्यवाही की प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी सचिव नगर सुधार न्यास आबू को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सर–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) **जिला कलक्टर, सिरोही**	